कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2017–18 के प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पदों के विरूद्ध चयनित कार्मिकों का पदस्थापन इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/डीपीसी17–18 दिनांक 31.08.2017 द्वारा किया गया। उक्त आदेश में क्रम सं 147, वरिष्ठता क्रमांक 1166 (2013–14), श्रीमति सन्तरा ओला, प्र.अ. रामावि टोडी, माधोपुरा, बागडियों की ढाणी, सीकर को पदौन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग उनकी सहमति से राउमावि, कुराडा, नागौर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया जहां पर याचिकार्थी द्वारा दिनांक 06.09.17 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

उक्त पदौन्नत कार्मिक ने तत्समय सीकर जिले मे राउमावि दाताराम्गढ, सीकर, राउमावि–सिहोट बडी, धोद सीकर व जिले के कई अन्य विद्यालयों को काउन्सलिंग प्रकिया में प्रदर्शित नहीं किये जाने, काउन्सलिंग प्रकिया में पारदर्शिता का अभाव होने आदि आक्षेपों के साथ माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 15015/2017 श्रीमति सन्तरा ओला बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.10.2017 को पारित अपने निर्णय द्वारा प्रार्थी को अप्रार्थीगण के समक्ष अपनी परिवेदना व्यक्त करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा उसे 02 माह के भीतर विधि अनुसार कन्सीडर कर सकारण स्पीकिंग ऑर्डर के जरिए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपना पदस्थापन राउमावि. भैंरूपुरा, धोद, सीकर में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की परिवेदना की गई। याचिकार्थी के अनुसार काउन्सलिंग के समय सीकर जिले के सभी रिक्त पदों को प्रदर्शित नहीं किया गया था जिससे विवश होकर याचिकार्थी को गृह जिले से बाहर पदस्थापन हेतु अपनी सहमति देनी पडी। इस कारण काउन्सलिंग की प्रकिया को पूर्णतः पारदर्शी नहीं कहा जा सकता। याचिकार्थी के अनुसार जिन पदों को काउन्सलिंग में प्रदर्शित नहीं किया गया उन्हें स्थानान्तरण से भर दिया गया।

याचिकार्थी से सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। याचिकार्थी को पूर्व में काउन्सलिंग के समय महिला वर्ग का लाभ दिया जाकर ही वरिष्ठतानुसार उनकी काउन्सलिंग की गई थी जिसमें याचिकार्थी के सहमति पत्र के आधार पर विकल्प एवं चयन द्वारा ही उनका पदस्थापन नागौर जिले में किया गया था। जहां तक याचिकार्थी के जिले के सभी रिक्त पदों को काउन्सलिंग में प्रदर्शित नहीं किये जाने और तत्पश्चात् उन्हें स्थानान्तरण से भर दिये जाने का प्रश्न है तो शासन के पत्र क्रमांकः प.17(4) शिक्षा–2/2009 दिनांकः 12.02.2016 के अनुसार काउन्सलिंग में केवल स्पष्ट रूप से रिक्त पदों को ही शामिल करने हेतु निर्देश प्राप्त हैं। उपरोक्तानुसार प्रत्येक जिले से पदौन्नत हुए प्रधानाचार्यों की संख्या अथवा जिले में स्पष्ट रूप से रिक्त पदों की संख्या जो भी कम हो, के बराबर पदौन्त्त प्रधानाचार्यों के पदस्थापन हेतु रिक्तियों का जिलेवार संख्यात्मक आवंटन किया जाता है। इस प्रकार विभाग द्वारा आयोजित काउन्सलिंग की प्रकिया पूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष है। स्थानान्तरण शासनादेश की पालना में प्रशासनिक आवश्यकता और विभागीय हित को ध्यान में रखते हुए किये जाते हैं। याचिकार्थी द्वारा चाहे गए राउमावि भैंरूपुरा, धाद सीकर में प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं है। याचिकार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष का पद राज्य सेवा का पद है और राज्य एवं लोक हित में उनका पदस्थापन राज्य में कहीं पर भी किया जा सकता है। इसी को मध्यनजर रखते हुए याचिकार्थी **श्रीमति सन्तरा ओला, प्रधानाचार्या राउमावि–कुराडा, नागौर का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।** सभी सम्बन्धित सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/सन्तरा/याचिका/15015/2017 **दिनांक** 13.03.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा , राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा नागौर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु
7. संबंधित संस्था प्रधान
8. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)